




भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (I)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY



सं० 181]
No. 181]

नई दिल्ली, सोमवार, जून 11, 1979/ज्येष्ठ 21, 1901
NEW DELHI, SATURDAY, JUNE 11, 1979/JYAISTHA 21, 1901

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

नौवहन और परिवहन मंत्रालय
(परिवहन पक्ष)

नई दिल्ली, 11 जून, 1979

अधिसूचनाएं

सां०का०नि० 364 (अ) :—सेजर पोर्ट ट्रस्ट्स ऐक्ट, 1963 (1963 का 38) की धारा 3 की उपधारा (6) के साथ पठित इसी अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार इस अधिसूचना के द्वारा नीचे क्रम संख्या 1 से 2 तक उल्लिखित व्यक्तियों को विशाखापत्तनम पोर्ट की पोर्ट आफ ट्रस्टी से ट्रस्टी के रूप में नियुक्त और क्रम संख्या 3 से 5 तक उल्लिखित व्यक्तियों को उक्त बोर्ड के चुने गये ट्रस्टी के रूप में अधिसूचित करती है :—

1. महाप्रबंधक, खनिज और धातु व्यापार निगम, विशाखापत्तनम। भारतीय खनिज और धातु व्यापार निगम लिमिटेड, विशाखापत्तनम के प्रतिनिधि।
2. अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड विशाखापत्तनम। हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के प्रतिनिधि।
3. श्री के० एम० दत्त विशाखापत्तनम चैम्बर आफ कामर्स के प्रतिनिधि।
4. श्री सी०वी० सीतारामस्वामी फेडरेशन आफ आन्ध्र प्रदेश चैम्बर आफ कामर्स एंड इण्डस्ट्री, हैदराबाद के प्रतिनिधि।

5. श्री के० सी० माथुर

इंडियन नेशनल शिपमोर्स एसो-सिएशन के प्रतिनिधि।

श्रीर भारत सरकार के नौवहन और परिवहन मंत्रालय की अधिसूचना संख्या सां०का०नि० 303 (ई) दिनांक 31 मार्च, 1979 में निम्नलिखित और आगे संशोधन करती है :—

उक्त अधिसूचना में क्रम संख्या 10 के बाद और उसमें दी गई प्रविष्टियों के स्थापन पर नीचे लिखी क्रमसंख्या और प्रविष्टियां जोड़ी जाए :—

11. महाप्रबंधक, खनिज और धातु व्यापार निगम, विशाखापत्तनम। भारतीय खनिज और धातु व्यापार निगम लिमिटेड, विशाखापत्तनम के प्रतिनिधि।
12. अध्यक्ष और प्रबंध निवेशक, हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड विशाखापत्तनम। हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के प्रतिनिधि।
13. श्री के० एस० दत्त विशाखापत्तनम चैम्बर आफ कामर्स के प्रतिनिधि।
14. श्री सी०वी० सीतारामस्वामी फेडरेशन आफ आन्ध्र प्रदेश चैम्बर आफ कामर्स एंड इण्डस्ट्री, हैदराबाद के प्रतिनिधि।
15. श्री के० सी० माथुर इंडियन नेशनल शिपमोर्स एसो-सिएशन के प्रतिनिधि।

[सां० पी टी बी-38/78]

MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT

(Transport Wing)

New Delhi, the 11th June, 1979

NOTIFICATIONS

G.S.R. 364(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), read with sub-section (6) of the said section, the Central Government hereby appoints the persons mentioned against Serial Numbers 1 and 2 below as Trustees on the Board of Trustees of the Port of Visakhapatnam and notifies the names of the persons mentioned against Serial Numbers 3 to 5 below as elected to be Trustees on the said Board, namely:—

1. General Manager, Minerals and Metals Trading Corporation, Visakhapatnam. Representing the Minerals and Metals Trading Corporation of India Limited.
2. Chairman and Managing Director, Hindustan Shipyard Limited, Visakhapatnam. Representing the Hindustan Shipyard Limited. —
3. Shri K.S. Dutt Representing the Vizagapatnam Chamber of Commerce, Visakhapatnam.
4. Shri C.V. Sitaramaswamy Representing the Federation of Andhra Pradesh Chamber of Commerce and Industry, Hyderabad.
5. Shri K.C. Mathur Representing the Indian National Shipowners' Association.

and makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Shipping and Transport (Transport Wing) No. G.S.R. 303 (E), dated the 31st March, 1979, namely:—

In the said notification, after Serial Number 10 and the entries relating thereto, the following Serial Numbers and entries shall be inserted, namely:—

- “11. General Manager, Minerals and Metals Trading Corporation, Visakhapatnam. Representing the Minerals and Metals Trading Corporation of India Limited.
12. Chairman and Managing Director, Hindustan Shipyard Limited, Visakhapatnam. Representing the Hindustan Shipyard Limited.
13. Shri K.S. Dutt Representing the Vizagapatnam Chamber of Commerce, Visakhapatnam.
14. Shri C.V. Sitaramaswamy Representing the Federation of Andhra Pradesh Chambers of Commerce and Industry, Hyderabad.
15. Shri K.C. Mathur Representing the Indian National Shipowners' Association.”

[F. No. PTR-38/78]

सांकांनि० 365 (ख) :—मेजर पोर्ट ट्रस्ट्स ऐक्ट, 1963 (1963 का 38) की धारा 3 की उपधारा (6) के माथ पठित उसी अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार इस अधिसूचना के द्वारा नीचे क्रम संख्या 1 और 2 पर उल्लिखित व्यक्तियों को कांडला पोर्ट ट्रस्ट के बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज के रूप में नियुक्त और क्रम संख्या 3 से 6 तक उल्लिखित व्यक्तियों को उक्त बोर्ड के चुने हुए ट्रस्टी के रूप में अधिसूचित करती है :—

1. क्षेत्रीय प्रबंधक (पश्चिम) भारतीय खाद्य निगम का प्रतिनिधि ।

2. क्षेत्रीय प्रबंधक, उत्तर क्षेत्र, इंडियन फ़ायल कारपोरेशन लिमिटेड इंडियन फ़ायल कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली । का प्रतिनिधि ।
3. श्री इन्द्रवदन प्राणलाल शाह गुजरात चैम्बर ऑफ कामर्स एंड इंडस्ट्री, प्रहमवाबाद का प्रतिनिधि ।
4. श्री एच०एस० बल्लूया नार्थर्न इंडियन चैम्बर ऑफ कामर्स एंड इंडस्ट्री, चंडीगढ़ का प्रतिनिधि ।
5. श्री एच०ओ० बोरा इंडियन नेशनल शिपओनर्स एसोसिएशन का प्रतिनिधि ।
6. श्री किशोर भाई सी० बोरा गांधीधाम नगर पालिका का प्रतिनिधि ।

और भारत सरकार में नीबहन और परिवहन मंत्रालय (परिवहन कक्ष) की अधिसूचना संख्या सांकांनि० 300 (ई) दिनांक 31 मार्च, 1979 में निम्नलिखित और आगे संशोधन करती है :—

उक्त अधिसूचना में क्रम संख्या 9 के बाव और इसमें दी गई प्रविष्टियों के स्थान पर नीचे लिखी क्रम संख्या और प्रविष्टियां जोड़ी जाएं:—

- “10. क्षेत्रीय प्रबंधक (पश्चिम) भारतीय खाद्य निगम का प्रतिनिधि । भारतीय खाद्य निगम, बम्बई ।
11. क्षेत्रीय प्रबंधक उत्तर क्षेत्र, इंडियन फ़ायल कारपोरेशन लिमिटेड इंडियन फ़ायल कारपोरेशन लिमिटेड नई दिल्ली । का प्रतिनिधि ।
12. श्री इन्द्रवदन प्राणलाल शाह गुजरात चैम्बर ऑफ कामर्स एंड इंडस्ट्री, प्रहमवाबाद का प्रतिनिधि ।
13. श्री एच०एस० बल्लूया नार्थर्न इंडियन चैम्बर ऑफ कामर्स एंड इंडस्ट्री, चंडीगढ़ का प्रतिनिधि ।
14. श्री एच०ओ० बोरा इंडियन नेशनल शिपओनर्स एसोसिएशन का प्रतिनिधि ।
15. श्री किशोरभाई सी० बोरा गांधीधाम नगरपालिका का प्रतिनिधि ।

[फा०सं०पी टी बी-41/78]

G.S.R. 365(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), read with sub-section (6) of the said section, the Central Government hereby appoints the persons mentioned against Serial Numbers 1 and 2 below as Trustees on the Board of Trustees of the Port of Kandla and notifies the names of the persons mentioned against Serial Numbers 3 to 6 below as elected to be Trustees on the said Board, namely:—

1. Zonal Manager (West), Representing the Food Corporation of India, Bombay. Food Corporation of India, tion of India.
2. Regional Manager, Northern Region, Indian Oil Corporation Limited, New Delhi. Representing the Indian Oil Corporation Limited.
3. Shri Indravadau Prantal Shah Representing the Gujrat Chambers of Commerce and Industry, Ahmedabad.
4. Shri H.S. Balhaya Representing the Northern Indian Chambers of Commerce and Industry, Chandigarh.

5. Shri H.O. Vora Representing the Indian National Shipowners Association.
6. Shri Kishorebhai C. Vora Representing the Gandhidham Municipality.

and makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Shipping and Transport (Transport Wing) No. G.S.R. 300 (E), dated the 31st March, 1979, namely:—

In the said notification, after Serial Number 9 and the entries relating thereto, the following Serial Numbers and entries shall be inserted, namely:—

- “10. Zonal Manager (West), Food Corporation of India, Bombay. Representing the Food Corporation of India.
11. Regional Manager, Northern Region, Indian Oil Corporation Limited, New Delhi. Representing the Indian Oil Corporation Limited.
12. Shri Indravadan Prantal Shah Representing the Gujarat Chamber of Commerce and Industry, Ahmedabad.
13. Shri H.S. Balhaya Representing the Northern Indian Chamber of Commerce and Industry, Chandigarh.
14. Shri H.O. Vora Representing the Indian National Shipowners Association.
15. Shri Kishorebhai C Vora Representing the Gandhidham Municipality.”

[F. No. PTB-41/78]

सांकांनि० 300 (E)।—मेजर पोर्ट ट्रस्ट्स ऐक्ट, 1963 (1963 का 38) की धारा 3 की उपधारा (6) के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्रीय सरकार इस अधिसूचना द्वारा नीचे क्रम संख्या 1 पर उल्लिखित व्यक्ति को कोचीन पोर्ट के बोर्ड आफ ट्रस्टीज के ट्रस्टी के रूप में और क्रम संख्या 2 से 5 तक उल्लिखित व्यक्तियों को उक्त बोर्ड के चुने गये ट्रस्टी के रूप में अधिसूचित करती है:—

1. अध्यक्ष और प्रबन्ध निदेशक, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, कोचीन प्रतिनिधि।
2. श्री ए० माधवन इंडियन चैम्बर आफ कामर्स, कोचीन के प्रतिनिधि।
3. श्री ए०एम० मोहम्मद उस्मान एर्नाकुलम चैम्बर आफ कामर्स, एर्नाकुलम के प्रतिनिधि।
4. श्री जी० जे० घन्नर कोचीन चैम्बर आफ कामर्स एंड इंडस्ट्री के कोचीन का प्रतिनिधि।
5. श्री के० चेलिहा इंडियन नेशनल शिपओनर्स एसोसिएशन के प्रतिनिधि।

और भारत सरकार के नौबहन और परिवहन मंत्रालय (परिवहन कक्ष) की अधिसूचना संख्या सांकांनि० 304 (ई) दिनांक 31 मार्च, 1979 में निम्नलिखित संशोधन करती है:—

उक्त अधिसूचना में क्रम संख्या 8 के बाद और उसमें दी गई प्रविष्टियों के स्थान पर नीचे लिखी क्रम संख्या और प्रविष्टियां जोड़ी जाएं:—

- “9. अध्यक्ष और प्रबन्ध निदेशक, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, कोचीन प्रतिनिधि। कोचीन।

10. श्री ए० माधवन इंडियन चैम्बर आफ कामर्स, कोचीन के प्रतिनिधि।
 11. श्री ए०एम० मोहम्मद उस्मान एर्नाकुलम चैम्बर आफ कामर्स, एर्नाकुलम के प्रतिनिधि।
 12. श्री जी० जे० घन्नर कोचीन चैम्बर आफ कामर्स एंड इंडस्ट्री का कोचीन के प्रतिनिधि।
 13. श्री के० चेलिहा इंडियन नेशनल शिपओनर्स एसोसिएशन के प्रतिनिधि।”
- [का०सं० पी टी बी-42/78]

G.S.R. 366 (E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), read with sub-section (6) of the said section the Central Government hereby appoints the persons mentioned against Serial Number 1 below as Trustee on the Board of Trustees of the Port of Cochin and notifies the names of the persons mentioned against Serial Numbers 2 to 5 below as elected to be Trustees on the said Board, namely:—

1. Chairman and Managing Director, Cochin Shipyard Limited, Cochin. —Representing the Cochin Shipyard Limited.
2. Shri A. Madhavan —Representing the Indian Chamber of Commerce, Cochin.
3. Shri A.M. Mohammed —Representing the Ernakulam Chamber of Commerce Ernakulam.
4. Shri G.J. Asher —Representing the Cochin Chamber of Commerce and Industry, Cochin.
5. Shri K. Chelliah —Representing the Indian National Shipowners' Association.

and makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Shipping and Transport (Transport Wing) No. G.S.R. 304 (E), dated the 31st March, 1979, namely:—

In the said notification, after Serial Number 8 and the entries relating thereto, the following Serial Numbers and entries shall be inserted, namely:—

- “9. Chairman and Managing Director, Cochin Shipyard Limited, Cochin. —Representing the Cochin Shipyard Limited.
10. Shri A. Madhavan —Representing the Indian Chamber of Commerce, Cochin.
11. Shri A.M. Mohammed —Representing the Ernakulam Chamber of Commerce, Ernakulam.
12. Shri G.J. Asher —Representing the Cochin Chamber of Commerce and Industry, Cochin.
13. Shri K. Chelliah —Representing the Indian National Shipowners' Association.”

[F. No. PTB-42/78]

सा० का० वि० 367(घ) :—मेजर पोर्ट ट्रस्ट्स ऐक्ट, 1963 (1963 का 38) की धारा 3 की उपधारा (6) के साथ पठित इसी अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार इस अधिसूचना के द्वारा नीचे क्रम संख्या 1 से 4 तक उल्लिखित व्यक्तियों को मद्रास पोर्ट के बोर्ड आफ ट्रस्टीज के रूप में नियुक्त और क्रम संख्या 5 से 8 तक उल्लिखित व्यक्तियों को जक्स बोर्ड के चुने गये ट्रस्टी के रूप में अधिसूचित करती है :—

- | | |
|--|--|
| 1. कार्यकारी निदेशक,
(लाइनर और पैसेंजर सर्विसेज)
भारतीय नौवहन निगम,
बम्बई | भारतीय नौवहन निगम लिमिटेड
के प्रतिनिधि । |
| 2. क्षेत्रीय प्रबंधक (विक्रय)
भारतीय खाद्य निगम,
मद्रास | भारतीय खाद्य निगम के प्रतिनिधि |
| 3. महाप्रबंधक,
खनिज और धातु व्यापार
निगम लिमिटेड, मद्रास | खनिज और धातु व्यापार निगम
लिमिटेड के प्रतिनिधि । |
| 4. प्रबंध निदेशक,
मद्रास रिफायनरीज लिमिटेड,
मद्रास | मद्रास रिफायनरीज लिमिटेड के
प्रतिनिधि । |
| 3. श्री बलवन्त राय | हिन्दुस्तान चैम्बर आफ कामर्स,
मद्रास के प्रतिनिधि । |
| 6. श्री विष्णु मोहन | मद्रास चैम्बर आफ कामर्स एंड
इंडस्ट्री, मद्रास के प्रतिनिधि । |
| 7. श्री बी० धार० हुजारी | माल इंडिया शिपर्स काउंसिल के
प्रतिनिधि । |
| 8. श्री के० जे० सीतारामन | मद्रास कस्टम, क्लियरिंग एंड शिपिंग
एजेंट्स एसोसिएशन मद्रास के
प्रतिनिधि, |

और भारत सरकार में नौवहन और परिवहन मंत्रालय (परिवहन पक्ष) की अधिसूचना संख्या सा० का० वि० 302 (ई) में निम्नलिखित और धारों संशोधन करती है :—

उक्त अधिसूचना में क्रम संख्या 9 के बाव और उसमें दी गई प्रविष्टियों के स्थान पर नीचे लिखी क्रम संख्या और प्रविष्टियाँ जोड़ी जाएं :—

- | | |
|--|---|
| “10. कार्यकारी निदेशक,
(लाइनर और पैसेंजर सर्विसेज)
भारतीय नौवहन निगम,
बम्बई | भारतीय नौवहन निगम लिमिटेड
के प्रतिनिधि । |
| 11. क्षेत्रीय प्रबंधक (विक्रय)
भारतीय खाद्य निगम, मद्रास | भारतीय खाद्य निगम के प्रतिनिधि । |
| 12. महाप्रबंधक,
खनिज और धातु व्यापार निगम
लिमिटेड, मद्रास | खनिज और धातु व्यापार निगम
लिमिटेड के प्रतिनिधि । |
| 13. प्रबंध निदेशक,
मद्रास रिफायनरीज लिमिटेड,
मद्रास | मद्रास रिफायनरीज लिमिटेड के
प्रतिनिधि । |
| 14. श्री बलवन्त राय | हिन्दुस्तान चैम्बर आफ कामर्स,
मद्रास के प्रतिनिधि । |
| 15. श्री विष्णु मोहन | मद्रास चैम्बर आफ कामर्स एंड
इंडस्ट्री, मद्रास के प्रतिनिधि । |

- | | |
|---------------------------|---|
| 16. श्री बी० धार० हुजारी | माल इंडिया शिपर्स काउंसिल के
प्रतिनिधि । |
| 17. श्री के० जे० सीतारामन | मद्रास कस्टम, क्लियरिंग एंड
शिपिंग एजेंट्स एसोसिएशन मद्रास
के प्रतिनिधि । |
- [का० सं० पी० टी० बी०-43/78]

G.S.R. 367(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), read with sub-section (6) of the said section, the Central Government hereby appoints the persons mentioned against Serial Numbers 1 to 4 below as Trustees on the Board of Trustees of the Port of Madras and notifies the names of the persons mentioned against Serial Numbers 5 to 8 below as elected to be Trustees on the said Board, namely :—

- | | |
|--|--|
| 1. Executive Director (Liners and Passenger Services) Shipping Corporation of India, Bombay. | —Representing the Shipping Corporation of India Limited. |
| 2. Zonal Manager (South), Food Corporation of India, Madras. | —Representing the Food Corporation of India. |
| 3. General Manager, Minerals and Metals Trading Corporation Limited, Madras. | —Representing the Minerals and Metals Trading Corporation Limited. |
| 4. Managing Director, Madras Refineries Limited, Madras. | —Representing the Madras Refineries Limited. |
| 5. Shri Balwantrai | —Representing the Hindustan Chamber of Commerce, Madras. |
| 6. Shri Vishnu Mohan | —Representing the Madras Chamber of Commerce and Industry, Madras. |
| 7. Shri B.R. Dujari | —Representing the All India Shippers' Council. |
| 8. Shri K.J. Seetharaman | —Representing the Madras Customs, Clearing and Shipping Agents, Association, Madras, |

and makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Shipping and Transport (Transport Wing) No. G.S.R. 302(E), dated the 31st March, 1979, namely :—

In the said notification, after Serial Number 9 and the entries relating thereto, the following Serial Numbers and entries shall be inserted, namely :—

- | | |
|---|--|
| “10. Executive Director (Liners and Passenger Services), Shipping Corporation of India, Bombay. | —Representing the Shipping Corporation of India Limited. |
| 11. Zonal Manager (South), Food Corporation of India, Madras. | —Representing the Food Corporation of India. |
| 12. General Manager, Minerals and Metals Trading Corporation Limited, Madras. | —Representing the Minerals and Metals Trading Corporation Limited. |

13. Managing Director, Madras Refineries Limited, Madras. —Representing the Madras Refineries Limited.
14. Shri Balwantrao —Representing the Hindustan Chamber of Commerce, Madras.
15. Shri Vishnu Mohan —Representing the Madras Chamber of Commerce and Industry, Madras.
16. Shri B.R. Dujari —Representing the All India Shippers' Council.
17. Shri K.J. Seetharaman —Representing the Madras Customs, Clearing and Shipping Agents Association, Madras."

[F. No. PTB-43/78]

सा० का० नि० 368 (प्र) :—मेजर पोर्ट ट्रस्ट्स एक्ट, 1963 (1963 का 38) की धारा 3 की उपधारा (6) के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार इस अधिसूचना के द्वारा नीचे क्रम 1 और 2 पर उल्लिखित व्यक्तियों को कलकत्ता पोर्ट के बोर्ड आफ ट्रस्टीज के ट्रस्टी के रूप में नियुक्त और क्रम संख्या 3 से 9 पर दिये गये व्यक्तियों को उक्त बोर्ड के चुने गये ट्रस्टी के रूप में अधिसूचित करती है :—

1. जनरल मैनेजर, इंडियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड का रिफायनरी, हल्दिया । इंडियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड के प्रतिनिधि ।
2. क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय नौवहन निगम, कलकत्ता । भारतीय नौवहन निगम लिमिटेड के प्रतिनिधि ।
3. श्री बी० एच० सिंघानिया इंडियन चैम्बर आफ कामर्स, कलकत्ता के प्रतिनिधि ।
4. श्री राबिन राहा बंगाल नेशनल चैम्बर आफ कामर्स एंड इंडस्ट्री, कलकत्ता के प्रतिनिधि ।
5. श्री एस० पुरी बंगाल चैम्बर आफ कामर्स एंड इंडस्ट्री, कलकत्ता के प्रतिनिधि ।
6. श्री संजय सेन ब्राल इंडिया शिपर्स काउंसिल के प्रतिनिधि ।
7. श्री भोला बोस कलकत्ता निगम के प्रतिनिधि ।
8. श्री शान्तिब्रत सेन कलकत्ता क्लियरिंग एजेंट्स एसोसिएशन, कलकत्ता के प्रतिनिधि ।
9. श्री एम० एस० खां (गाजीपुरी) फेडरेशन, आफ इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन आफ इंडिया, कलकत्ता के प्रतिनिधि ।

और भारत सरकार में नौवहन और परिवहन मंत्रालय (परिवहन पक्ष) की अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 301 (ई) दिनांक 31 मार्च, 1979 में और प्राप्ति संशोधन करती है जो निम्नलिखित है :—

उक्त अधिसूचना में, क्रम संख्या 11 के बाद और उसमें दी गई प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टिया जोड़ी जाएं :—

- "12. जनरल मैनेजर, इंडियन आयल रिफायनरी, हल्दिया । इंडियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड के प्रतिनिधि ।

13. क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय नौवहन निगम, कलकत्ता । भारतीय नौवहन निगम लिमिटेड के प्रतिनिधि ।
14. श्री बी० एच० सिंघानिया इंडियन चैम्बर आफ कामर्स, कलकत्ता के प्रतिनिधि ।
15. श्री राबिन राहा बंगाल नेशनल चैम्बर आफ कामर्स एंड इंडस्ट्री, कलकत्ता के प्रतिनिधि ।
16. श्री एस० पुरी बंगाल चैम्बर आफ कामर्स एंड इंडस्ट्री कलकत्ता के प्रतिनिधि ।
17. श्री संजय सेन ब्राल इंडिया शिपर्स काउंसिल के प्रतिनिधि ।
18. श्री भोला बोस कलकत्ता निगम के प्रतिनिधि ।
19. श्री शान्तिब्रत सेन कलकत्ता क्लियरिंग एजेंट्स एसोसिएशन, कलकत्ता के प्रतिनिधि ।
20. श्री एम० एस० खां (गाजीपुरी) फेडरेशन आफ इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन आफ इंडिया कलकत्ता के प्रतिनिधि ।"

[फा० सं० पी० टी० बी० -44/78]

G.S.R. 368—(E) :—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), read with sub-section (6) of the said section, the Central Government hereby appoints the persons mentioned against Serial Numbers 1 and 2 below as Trustees on the Board of Trustees of the Port of Calcutta and notifies the names of the persons mentioned against Serial Numbers 3 to 9 below as elected to be Trustees on the said Board, namely:—

1. General Manager, Haldia Refinery, Haldia. Representing the Indian Oil Corporation Limited.
2. Regional Director, Shipping Corporation of India, Calcutta. Representing the Shipping Corporation of India Ltd
3. Shri B.H. Singhania Representing the Indian Chamber of Commerce, Calcutta.
4. Shri Rabin Raha Representing the Bengal National Chamber of Commerce and Industry, Calcutta.
5. Shri S. Puri Representing the Bengal Chamber of Commerce and Industry, Calcutta.
6. Shri Sanjoy Sen Representing the All India Shippers' Council.
7. Shri Bhola Bose Representing the Corporation of Calcutta.
8. Shri Santibrato Sen Representing the Calcutta Clearing Agents Association, Calcutta.
9. Shri M.S. Khan (Ghaziपुरी) Representing the Federation of Inland Water Transport Association of India, Calcutta.

and makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Shipping and Transport (Transport Wing) No. G.S.R. 301(E), dated the 31st March, 1979, namely:—

In the said notification, after Serial Number 11 and the entries relating thereto, the following Serial Numbers and entries shall be inserted, namely:—

“12. General Manager, Haldia Refinery, Haldia.	Representing the Indian Oil Corporation Limited.
13. Regional Director, Shipping Corporation of India, Calcutta.	Representing the Shipping Corporation of India Ltd.
14. Shri B.H. Singhania	Representing the Indian Chamber of Commerce, Calcutta.
15. Shri Rabin Raha	Representing the Bengal National Chamber of Commerce and Industry, Calcutta.
16. Shri S. Puri	Representing the Bengal Chamber of Commerce and Industry, Calcutta.
17. Shri Sanjoy Sen	Representing the All India Shippers' Council.
18. Shri Bhola Bose	Representing the Corporation of Calcutta.
19. Shir Santibrato Sen	Representing the Calcutta Clearing Agents Association, Calcutta.
20. Shri M.S. Khan (Ghazipur)	Representing the Federation of Inland Water Transport Association of India, Calcutta.”

[F. No. PTB.-44/78]

सां. कां. लिं. 369 (अ) :—मेजर पोर्ट ट्रस्ट्स ऐक्ट, 1963 (1963 का 38) की धारा 3 की उपधारा (6) के साथ पठित इसी अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा की गयी शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार इस अधिसूचना के द्वारा बम्बई पोर्ट के बोर्ड आफ ट्रस्टीज में नीचे क्रम संख्या 1 से 3 पर लिखे व्यक्तियों को बोर्ड के ट्रस्टी के रूप में नियुक्त और क्रम संख्या 4 से 8 पर लिखे व्यक्तियों को उक्त मण्डल के चुने हुए ट्रस्टी के रूप में अधिसूचित करती है:—

1. उपाध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, भारतीय नौबहन निगम लिमिटेड, बम्बई।	भारतीय नौबहन निगम लिमिटेड के प्रतिनिधि।
2. क्षेत्रीय प्रबंधक (पश्चिम), भारतीय खाद्य निगम, बम्बई।	भारतीय खाद्य निगम के प्रतिनिधि।
3. प्रबंध निदेशक (विपणन प्रभाग) इंडियन फ़ूड कारपोरेशन लिमिटेड, बम्बई।	इंडियन फ़ूड कारपोरेशन लिमिटेड के प्रतिनिधि।
4. श्री ए० एस० कासलीवाल	महाराष्ट्र चैम्बर ऑफ़ कामर्स, बम्बई के प्रतिनिधि।
5. श्री जे० एच० दोषी	ग्रान इंडिया शिपर्स काउंसिल के प्रतिनिधि।
6. श्री डी० एम० पारेख	ग्रान इंडिया सेलिंग वेसेल्स इंडस्ट्री एसोसियेशन के प्रतिनिधि।

7. श्री ए० पाल कर्नाम्बी	बम्बई कस्टम हाउस एजेन्ट्स एसोसियेशन, बम्बई के प्रतिनिधि।
8. श्री विलास शंकर मंजरेकर	महाबम्बई नगर निगम के प्रतिनिधि।

और भारत सरकार में नौबहन और परिवहन मंत्रालय (परिवहन पक्ष) की अधिसूचना संख्या सां. कां. लिं. 305 (ई), दिनांक 31 मार्च, 1979 में और आगे निम्नलिखित संशोधन करती है:—

उक्त अधिसूचना में क्रम संख्या 9 के बाव और उसमें की गयी प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्याओं और प्रविष्टियों को जोड़ा जाय, अर्थात्:—

“10. उपाध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, भारतीय नौबहन निगम लिमिटेड, बम्बई।	भारतीय नौबहन निगम लिमिटेड के प्रतिनिधि।
11. क्षेत्रीय प्रबंधक (पश्चिम), भारतीय खाद्य निगम, बम्बई।	भारतीय खाद्य निगम के प्रतिनिधि।
12. प्रबंध निदेशक (विपणन प्रभाग), इंडियन फ़ूड कारपोरेशन लिमिटेड, बम्बई।	इंडियन फ़ूड कारपोरेशन लिमिटेड के प्रतिनिधि।
13. श्री ए० एस० कासलीवाल	महाराष्ट्र चैम्बर ऑफ़ कामर्स, बम्बई के प्रतिनिधि।
14. श्री जे० एच० दोषी	ग्रान इंडिया शिपर्स काउंसिल के प्रतिनिधि।
15. श्री डी० एम० पारेख	ग्रान इंडिया सेलिंग वेसेल्स इंडस्ट्री एसोसियेशन के प्रतिनिधि।
16. श्री ए० पाल कर्नाम्बी	बम्बई कस्टम हाउस, एजेन्ट्स एसोसियेशन, बम्बई के प्रतिनिधि।
17. श्री विलास शंकर मंजरेकर	महाबम्बई नगर निगम के प्रतिनिधि।”

[फा० नं० पी० टी० बी०-45/78]
विनेश कुमार जैन, संयुक्त सचिव

G.S.R. 369-(E) :—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), read with sub-section (6) of the said section, the Central Government hereby appoints the persons mentioned against Serial Number 1 to 3 below as Trustees on the Boards of Trustees of the Port of Bombay and notifies the names of the persons mentioned against Serial Numbers 4 to 8 below as elected to be Trustees on the said Board, namely:—

1. Vice-Chairman and Managing Director, Shipping Corporation of India Limited, Bombay.	Representing the Shipping Corporation of India Ltd.
2. Zonal Manager (West), Food Corporation of India Bombay.	Representing the Food Corporation of India.
3. Managing Director, (Marketing Division), Indian Oil Corporation Limited., Bombay.	Representing the Indian Oil Corporation Limited.
4. Shri A.H. Kasiwal	Representing the Maharashtra Chamber of Commerce, Bombay.
5. Shri J.S. Doshi	Representing the All India Shippers' Council.

- | | | | |
|--|---|---|---|
| 6. Shri D.M. Parekh | Representing the Federation of All India Sailing Vessels Industry Associations. | 12. Managing Director, (Marketing Division), Indian Oil Corporation, Limited, Bombay. | Representing the Indian Corporation Limited. |
| 7. Shri A. Paul Fernandes | Representing the Bombay Customs House Agents Association, Bombay. | 13. Shri A.S. Kasliwal | Representing the Maharashtra Chamber of Commerce, Bombay. |
| 8. Shri Vilas Shankar Manjrekar. | Representing the Municipal Corporation of Greater Bombay. | 14. Shri J.H. Doshi | Representing the All India Shippers' Council. |
| and makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Shipping and Transport (Transport Wing) No. G.S.R. 305(E), dated the 31st March, 1979, namely:-- | | | |
| In the said notification, after Serial Number 9 and the entries relating thereto, the following Serial Numbers and entries shall be inserted, namely— | | | |
| "10. Vice Chairman and Managing Director, Shipping Corporation of India Ltd., Bombay. | Representing the Shipping Corporation of India Ltd. | 15. Shri D.M. Parekh | Representing the Federation of All India Sailing Vessels Industry Associations. |
| 11. Zonal Manager (West), Food Corporation of India, Bombay. | Representing the Food Corporation of India. | 16. Shri A. Paul Fernandes | Representing the Bombay Custom House Agents Association, Bombay. |
| | | 17. Shri Vilas Shankar Manjrekar | Representing the Municipal Corporation of Greater Bombay." |
| | | | [F. No. PTB-45/78]
Sd/-
D. K. JAIN, Joint Secy. |

